न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 22/2019 अपील

1. रतन पिता प्यारा गाडरी निवासी बागौर तहसील माण्डल	बनाम	1. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार बागौर तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
–अपीलार्थी		–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार बागौर प्रकरण संख्या 51/2018 निर्णय दिनांक 12.02.2019

उपस्थित –

1. श्री बाबूलाल आचार्य अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री दिनेश तिवाड़ी राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 10.8..2021

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार बागौर प्रकरण संख्या 51/2018 दिनांक 12.02.2019 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी काश्तकार होकर कृषि कार्य करता है। अपीलार्थी की कृषि आराजी ग्राम बागौर प0ह0 बागौर प्रथम में स्थित है एवं अपीलार्थी ने लगभग 15 वर्ष पूर्व अपने मवेशियों को रखने के लिए एवं कृषि सामग्री फसल इत्यादि डालने के लिए बागौर –लेसवा ग्रामीण सडक से लगता हुआ, एक नोहरा बनाया जिसके चारों तरफ अपीलार्थी ने थोहर की बाड़ लगा रखी थी। 15 वर्ष से भी अधिक समय से अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस में दर्शायी गयी जगह पर काबिज होकर बिना किसी रूकावट के निर्बाद्व रूप से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। अपीलार्थी के रहने हेतु ग्राम बागौर में पर्याप्त जगह/मकान नहीं है, जिससे अपीलार्थी ने अभी हाल ही में उक्त कब्जेशुदा जमीन पर अपलार्थी ने लाखों रूपये की लागत लगाकर चारों तरफ पत्थर की ऊंची दीवार बनवायी है एवं छपरा बनवाया है, जिसमें अपीलार्थी अपने मवेशियों को रखता है। पटवार हल्का बागौर प्रथम की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कब्जेशुदा आराजी नम्बर 2095 को चारागाह की बतायी जाकर अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित कर उक्त आदेश पारित किया है जो नियम विरूद्व होकर प्राकृतिक न्याय के विरूद्व हैं, जबकि कब्जा मुखालपाना के आधार पर भी उक्त जायदाद पर अपीलार्थी का अधिकार हो जाता हैं। उक्त कब्जेशुदा आराजी पर कभी भी मवेशियों के उपयोग में नही ली गयी, बल्कि उक्त आराजी नम्बर 2095 में से 1.12 बीघा भूमि उप तहसील बागौर कार्यालय भवन हेतु, 4 बीघा भूमि ग्राम पंचायत बागौर आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित की गयी। 11.13 बीघा भूमि को ग्राम पंचायत खेल मैदान के लिए अलोट की गयी, जिसे भी सामुदायिक हॉस्पीटल बनाने के लिये रिजर्व कर दी गयी है।

जिला कलक्टर भीलवाड़ा

विपक्षी की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा ग्राम बागौर के खसरा संख्या 2093 किस्म बिलानाम व आराजी संख्या 2095 किस्म चारागाह के कुल रकबा 02 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय ने बेदखली के आदेश पारित किया। उक्त अतिक्रमित भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार चारागाह की होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम बागौर के खसरा संख्या 2093 किस्म बिलानाम व आराजी नम्बर 2095 किस्म चारागाह कुल रकबा 02 बिस्वा से अपीलाण्ट को बेदखली के आदेश के साथ 50/–रूपये शास्ती वसूली की जो सजा के आदेश पारित किये गये हैं उसमें कोई त्रुटि नही हैं। अपीलाण्ट की अपील खारिज की जाये

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बागौर ने ग्राम बागौर के खसरा संख्या 2093 किस्म बिलानाम व आराजी नं. 2095 किस्म चारागाह कुल रकबा 02 बिस्वा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि पर अतिक्रमण करने से अपीलाण्ट को अतिक्रमित भूमि का वार्षिक लगान का 50 गुणा 50/–रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने एवं अतिक्रमी को मौके से बेदखल करने तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अतिक्रमण के लिए अपीलाण्ट को दण्डित करने का दिनांक 12.02.2019 को जो आदेश पारित किया गया जो विधिसम्मत है। अपीलार्थी ने स्वयं अपनी अपील मेमो में एवं दौराने बहस यह स्वीकारोक्ति की है कि अपीलाण्ट ने ग्राम बागौर के आराजी नं. 2095 किस्म चारागाह सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि पर कब्जा कर पक्का छपरा बनाकर उपयोग कर रहा है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नही ठहरती है। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.02.2019 पत्रावली संख्या 51/2018 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बागौर एवं तहसीलदार माण्डल को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.8.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा